पत्रांक– प्र०–07 / राष्ट्रीय गीत–12–01 / 2026......512......

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद यादव,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव।
स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–24 / 07 / 2026

विषय :– **भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को गाने या बजाने के संबंध में ।**

प्रसंग :– गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक–14 / 02 / 2025 पब्लिक, दिनांक–13.07.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि भारत सरकार द्वारा समय–समय पर भारत के राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान से संबंधित आदेशों की प्रतियां, जिनका दृढ़ता से पालन किया जाना है, को अनुलग्नक–I एवं अनुलग्नक–II उक्त पत्र में संलग्न है।

उक्त पत्र में उन अवसरों की पूरी सूची दी गई है, जिन पर भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बजाया या गाया जाना अनिवार्य है। वे अवसर भी सम्मिलित हैं, जिन पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाया या बजाया जा सकता है। साथ ही वैसे अवसर भी सम्मिलित हैं, जिन पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को दो बार, यानी कार्यक्रम की शुरूआत और समापन दोनों समय पर गया या बजाया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को गाने या बजाने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चत किया जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
24.07.2026
(महेन्द्र प्रसाद यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव।

27 JUL 2026

7234
30.7.26

(293)

No. 14/2/2025-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Public Section
*****

Kartavya Bhawan-3, New Delhi
Dated the 9th July, 2026

To,

The Chief Secretaries/Administrators of all State Governments/ UT Administrations;

and

The Secretaries of all Ministries/Departments of Govt. of India.

Subject: - Orders relating to singing or playing of the National Song and the National Anthem of India – reg.

Madam/Sir,

Government of India has time to time issued Orders relating to the National Anthem and National Song of India. Copies of the Orders relating to National Song and National Anthem are enclosed herewith at **Annexure - I** and **Annexure -II** respectively, for strict compliance.

2. These Orders contain exhaustive list of occasions, on which the National Song and the National Anthem of India **shall** be played or sung. It also lists the occasions, on which the National Song and National Anthem **may be** sung or played. These orders, inter-alia, contain list of occasions on which both the National Song and the National Anthem shall be sung or played two times i.e. both at the beginning and at the end of the occasion.

In this reference, it is also stated that the Para IV (2) of the Orders relating to National Song (Annexure - I) specifies that – ***'When the National Song and the National Anthem are sung or played, National Song will be sung or played first'.***

3. In some of the States, State Song is also sung and played along with National Anthem/National Song. It is stated that whenever State Song is sung or played with National Song/National Anthem, both the National Song and National Anthem shall

मुख्य सचिव कार्यालय, बिहार
17 JUL 2026
13 JUL 2026
Chief Secretary, Bihar
मुख्य सचिव कार्यालय
आवती सं० 233/U
दिनांक 20/07/2026
अपर मुख्य सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना
2717
20/07/26
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
बिहार, पटना
प्रशाखा-07
दैनिक सं० 772
21/07/2026

be sung or played together; and National Song will be sung or played first followed by National Anthem.

4. It is to be noted that **while singing or playing National Song and National Anthem, their correct script/text and diction/pronunciations should be followed strictly.** For the facilitation of all the authorities and the general masses, it is stated that-

(a). The correct script/text of the National Song and the National Anthem, as contained in the Orders relating to National Song and National Anthem (Annexure – I and Annexure – II) are also available on the website of Ministry of Home Affairs at **https://www.mha.gov.in/en/documents/national-flag-emblem-anthem**.

(b). The correct diction/pronunciations of the National Song and the National Anthem are also made available on the website of Ministry of Home Affairs at **https://www.mha.gov.in/en/documents/national-flag-emblem-anthem.**

5. It is requested that suitable instructions in this regard may please be issued to all concerned institutions/organisations under your jurisdiction, for strict compliance.

Yours faithfully

(Arvind Khare)
Joint Secretary to the Govt. of India

Enclosures

1. Orders relating to National Song of India (Annexure – I).
2. Orders relating to National Anthem of India (Annexure – II).

Copy to

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice-President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, Seva Teerth, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, Seva Teerth, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. All High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 20 Spare copies.

Annexure-I

ORDERS RELATING TO THE NATIONAL SONG OF INDIA

The National Song of India is played or sung on various occasions. The following instructions are being issued, for general information and guidance on the official version of the National Song, the occasions on which the Song is to be played or sung, and about the need for paying respect to the National Song by observance of proper decorum on such occasions:

I. THE NATIONAL SONG – OFFICIAL VERSION

(1) The song 'Vande Mataram' written by Shri Bankim Chandra Chatterjee is known as 'National Song'. The lyrics of the National Song 'Vande Mataram' are as follows:

Vandē Mātaraṃ, Vandē Mātaraṃ.
Sujalāṃ suphalāṃ malayaja-sheetalāṃ,
Shasya-Shyāmalāṃ Mātaraṃ.
Vandē Mātaraṃ.

Shubhra-jyotsnā pulakita-yāmineeṃ,
Phulla-kusumita druma-dala-shobhineeṃ,
Suhāsineeṃ sumadhura-bhāshineeṃ,
Sukhadāṃ varadāṃ Mātaraṃ.
Vandē Mātaraṃ.

Koti-koti kantha kal-kal nināda karāle,
Koti-koti bhujairdhṛita kharkarvāle,
Ke bole Mā tumi abale,
Bahubaladhāriṇeeṃ namāmi tāriṇeeṃ,
Ripudala-vāriṇeeṃ Mātaraṃ.
Vandē Mātaraṃ.

Tumi vidyā, tumi dharma,
Tumi hṛdi, tumi marma,
Tvaṃ hi prāṇāḥ shareere
Bāhute tumi Mā shakti,
Hṛdaye tumi Mā bhakti,

Tomārai pratima gadi mandire-mandire.
Vandē Mātaraṃ.

Tvaṃ hi Durgā dasha-praharaṇa-dhāriṇee,
Kamalā kamala-dala-vihāriṇee,
Vāṇee vidyā-dāyinee,
Namāmi tvāṃ namāmi kamalāṃ,
Amalāṃ atulāṃ,
Sujalām suphalām Mātaraṃ.
Vandē Mātaraṃ.

Shyāmalāṃ saralāṃ susmitāṃ bhūṣhitāṃ,
Dharaṇeeṃ bharaṇeeṃ Mātaraṃ.
Vandē Mātaraṃ, Vandē Mātaraṃ.

(2) The playing time of the National Song is approximately 3 minutes 10 seconds.

II. PLAYING OF THE NATIONAL SONG

(1) The official version of the National Song shall be played on the following occasions:

(i) Civil Investitures;
(ii) On arrival of the President at formal State functions and other functions organized by the Government, and on his departure from such functions;
(iii) Immediately before and after the President addresses the Nation over All India Radio and Television;
(iv) On arrival of the Governor/Lieutenant Governor at formal State functions within his State/Union Territory and on his departure from such functions;
(v) When the National Flag is brought on parade.

(2) The National Song shall be played on any other occasion, for which special orders are issued by the Government of India.

(3) When the National Song is played by a band, the Song will be preceded by a roll of drums to assist the audience to know that the National Song is going to be played, unless there is some other specific indication that the National Song is about to be played, as for example, when fanfares are sounded before the National Song

is played. The duration of the roll, in terms of marching drill, will be 7 paces in slow march. The roll will start slowly, ascend to as loud a volume as possible and then gradually decreases to original softness, but remaining audible until the seventh beat. One beat rest will then be observed before commencing the National Song.

III. MASS SINGING OF THE NATIONAL SONG

(1) The official version of the National Song shall be played accompanied by mass singing on the following occasions:

(i) On the unfurling of the National Flag, on cultural occasions or ceremonial functions other than parades. (This could be arranged by having a choir of adequate size, suitably stationed, which would be trained to coordinate its singing with the band etc. There should be an adequate public audition system so that the gathering in various enclosures can sing in unison with the choir; and printed lyrics of the official version of the National Song may be circulated amongst the participants, wherever required).

(ii) On arrival of the President at any Government or Public function (but excluding formal State functions) and also immediately before his departure from such functions.

(2) On all occasions, when the National Song is sung, the official version only shall be recited in mass singing.

(3) The National Song may be sung on occasions which, although not strictly ceremonial, are nevertheless invested with significance because of the presence of Ministers etc. The singing of the National Song on such occasions (with or without the accompaniment of instruments) accompanied by mass singing is desirable.

(4) It is not possible to give an exhaustive list of occasions on which the singing (as distinct from playing) of official version of the National Song can be permitted. But there is no objection to the singing of the National Song accompanied by mass singing so long as it is done with due respect as a salutation to the motherland and proper decorum is maintained.

(5) In all schools, the day's work may begin with community singing of the National Song. School authorities should make adequate provision in their programmes for popularising the singing of the National Song, National Anthem and promoting respect for the National Flag among students.

IV. GENERAL

(1) Whenever the official version of the National Song is sung or played, the audience shall stand to attention. However, when in the course of a newsreel or documentary the National Song is played as a part of the film, it is not expected of the audience to stand, as standing may interrupt the exhibition of the film and may create disorder and confusion rather than add to the dignity of the National Song.

(2) When the National Song and the National Anthem are sung or played, National Song will be sung or played first.

*****

126 (29)

1688

ORDERS RELATING TO THE NATIONAL ANTHEM OF INDIA

The National Anthem of India is played or sung on various occasions. Instructions have been issued from time to time about the correct versions of the Anthem, the occasions on which these are to be played or sung, and about the need for paying respect to the Anthem by observance of proper decorum on such occasions. The substance of these instructions has been embodied in this information sheet for general information and guidance.

I. THE NATIONAL ANTHEM - FULL AND SHORT VERSIONS

(1) The composition consisting of the words and music of the first stanza of the late poet Rabindra Nath Tagore's song known as 'Jana-Gana-Mana' is the National Anthem of India. It reads as follows:

Jana-gaṇa-mana-adhināyaka jaya he
Bhārata-bhāgya-vidhātā.
Panjāba-Sindhu-Gujarāta-Marāthā
Drāvida-Utkala-Banga
Vindhya-Himāchala-Yamunā-Gangā
uchchhala-jaladhi-taranga
Tava shubha nāme jāgē, tava shubha aashish māngē,
gāhē tava jaya-gāthā.
Jana-gaṇa-mangala-dāyaka jaya he
Bhārata-bhāgya-vidhātā.
Jaya hē, Jaya hē, Jaya hē,
Jaya jaya jaya jaya hē.

The above is the full version of the Anthem and its playing time is approximately 52 seconds.

(2) A short version consisting of the first and last lines of the National Anthem is also played on certain occasions. It reads as follows:

Jana-gaṇa-mana-adhināyaka jaya he
Bhārata-bhāgya-vidhātā.
Jaya hē, Jaya hē, Jaya hē,
Jaya jaya jaya jaya hē.

Playing time of the short version is about 20 seconds.

(3) The occasions on which the full version or the short version will be played have been indicated at the appropriate places in these instructions.

II. PLAYING OF THE ANTHEM

(1) The full version of the Anthem shall be played on the following occasions:

- (i) Civil and Military investitures;
- (ii) When National Salute (which means the Command for 'Rashtriya Salute - Salami Shastr' to the accompaniment of the National Anthem is given) on ceremonial occasions to the President or to the Governor/Lieutenant Governor within their respective States/ Union Territories;
- (iii) During parades - irrespective of whether any of the dignitaries referred to in (ii) above is present or not;
- (iv) On arrival of the President at formal State functions and other functions organized by the Government and mass functions and on his departure from such functions;
- (v) Immediately before and after the President addresses the Nation over All India Radio;
- (vi) On arrival of the Governor/Lieutenant Governor at formal State functions within his State/Union Territory and on his departure from such functions;
- (vii) When the National Flag is brought on parade;
- (viii) When the Regimental Colours are presented;
- (ix) For hoisting of colours in the Navy.

(2) The short version of the Anthem shall be played when drinking toasts in Messes.

(3) The Anthem shall be played on any other occasion, for which special orders have been issued by the Government of India.

(4) Normally the Anthem shall not be played for the Prime Minister, though there may be special occasions when it may be played.

(5) When the National Anthem is played by a band, the Anthem will be preceded by a roll of drums to assist the audience to know that the National Anthem is going to be played, unless there is some other specific indication that the National Anthem is about

to be played, as for example, when fanfares are sounded before the National Anthem is played, or when toasts are drunk to the accompaniment of the National Anthem or when the National Anthem constitutes the National Salute given by a Guard of Honour. The duration of the roll, in terms of marching drill, will be 7 paces in slow march. The roll will start slowly, ascend to as loud a volume as possible and then gradually decreases to original softness, but remaining audible until the seventh beat. One beat rest will then be observed, before commencing the National Anthem.

III. MASS SINGING OF THE ANTHEM

(1) The full version of the Anthem shall be played accompanied by mass singing, on the following occasions:

(i) On the unfurling of the National Flag, on cultural occasions or ceremonial functions other than parades. (This could be arranged by having a choir or adequate size, suitably stationed, which would be trained to coordinate its singing with the band etc. There should be an adequate public audition system so that the gathering in various enclosures can sing in unison with the choir);

(ii) On arrival of the President at any Government or Public function (but excluding formal State functions and mess functions), and also immediately before his departure from such functions.

(2) On all occasions when the National Anthem is sung, the full version only shall be recited in mass singing.

(3) The Anthem may be sung on occasions, which although not strictly ceremonial, are nevertheless invested with significance because of the presence of Ministers etc. The singing of the Anthem on such occasions (with or without the accompaniment of an instruments) accompanied by mass singing is desirable.

(4) It is not possible to give an exhaustive list of occasions on which the singing (as distinct from playing) of the Anthem can be permitted. But there is no objection to the singing of the Anthem accompanied by mass singing so long as it is done with due respect as a salutation to the motherland and proper decorum is maintained.

(5) In all schools, the day's work may begin with community singing of the Anthem. School authorities should make adequate provision in their programmes for popularising the singing of the Anthem and promoting respect for the National Flag among students.

IV. PLAYING OF FOREIGN ANTHEMS

(1) At receptions to foreign dignitaries in India at which the giving of National Salute has been prescribed, full version of the National Anthem of the visiting dignitary's country should be played first, followed by the full version of the National Anthem of India.

(2) At dramatic, film or other cultural festivals organised by a diplomatic or consular representative of a foreign country in India, the National Anthem of the foreign country concerned may be played with the National Anthem of India. The foreign Anthem should be played first followed immediately by the Indian Anthem.

(3) At functions arranged by foreign Missions for celebrating their National Days, the National Anthem of the country holding the function may be played or sung. On theses occasions if the President of India is represented by a Chief Guest not below the rank of a Cabinet Minister of the Central Government or by the Lieutenant Governor of Delhi (if the function is held in Delhi) the National Anthem of India may be played first followed by the playing of the National Anthem of the country hosting the function. This procedure will also be followed if the function includes proposing of the toasts to Heads of States i.e. the Indian Anthem should be played immediately after the toast has been proposed to the President of India, and the National Anthem of the foreign country should be played immediately after the toast to Head of that country is proposed. In case National Anthem of India and of the country hosting the function have been played at the beginning of the function, there will be no need to play the Anthem of either or both the countries if any toasts are proposed.

> Note: When the National Anthem is required to be played immediately before or after the National Anthem of a foreign country, as laid down in Section IV above, there should be no simultaneous singing of the National Anthem. However, mass singing of the National Anthem should be required, when it is played immediately before or after the Anthem of another country in the event that the visiting dignitary and his delegation are singing their own National Anthem.

V. GENERAL

(1) Whenever the Anthem is sung or played, the audience shal stand to attention. However, when in the course of a newsreel or documentary the Anthem is played as a part of the film, it is not expected of the audience to stand, as standing may interrupt the exhibition of the film and may create disorder and confusion rather than add to the dignity of the Anthem.

(2) As in the case of the flying of the National Flag, it has been left to the good sense of the people not to indulge in indiscriminate singing or playing of the Anthem.

*****

फा.सं.14/2/2025-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग
***

कर्त्तव्य भवन-3, नई दिल्ली
दिनांक 09 जुलाई , 2026
13 JUL 2026

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/ सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक;
तथा
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

विषय:भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को गाने या बजाने के संबंध में आदेश ।

महोदया/महोदय,

भारत सरकार ने समय-समय पर भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के संबंध में आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से संबंधित आदेशों की प्रतियां, जिनका दृढ़ता से पालन किया जाना है क्रमशः **अनुलग्नक -I** और **अनुलग्नक -II** में संलग्न है।

2. इन आदेशों में, उन अवसरों की पूरी सूची दी गई है, जिन पर भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बजाया या गाया जाना अनिवार्य है। इसमें वे अवसर भी सम्मिलित हैं, जिन पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाया या बजाया जा सकता है। इन आदेशों में, वे अवसर भी सम्मिलित हैं, जिन पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को दो बार, यानी कार्यक्रम की शुरुआत और समापन दोनों समय पर गाया या बजाया जाएगा।

इस संदर्भ में, यह भी सूचित किया जाता है कि राष्ट्रगीत (अनुलग्नक -I) से संबंधित आदेशों का पैरा IV (2) यह स्पष्ट करता है कि - **'जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाए या बजाए जाते हैं, तो राष्ट्रगीत पहले गाया या बजाया जाएगा'**।

3. कुछ राज्यों में, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के साथ-साथ राज्य-गीत भी गाया और बजाया जाता है। यह बताया जाता है कि जब भी राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के साथ राज्य-गीत गाया या बजाया जाए, तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ गाए या बजाये जाएँ; और पहले राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाए, उसके बाद राष्ट्रगान।

4. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि **राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाते या बजाते समय, उनके सही आलेख/पाठ और उच्चारण का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए।** सभी अधिकारियों और सर्व- साधारण जनता की सुविधा के लिए, यह बताया जाता है कि-

(a). राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सही आलेख/पाठ, जैसा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान (अनुलग्नक -I और अनुलग्नक -II) से संबंधित आदेशों में दिया गया है, गृह मंत्रालय की वेबसाइट **https://www.mha.gov.in/en/documents/national-flag-emblem-anthem** पर उपलब्ध है।

(b). राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सही उच्चारण भी गृह मंत्रालय की वेबसाइट **https://www.mha.gov.in/en/documents/national-flag-emblem-anthem** पर उपलब्ध कराया गया है।

5. यह अनुरोध है कि इस संबंध में आपके अधिकार-क्षेत्र में आने वाली सभी संबंधित संस्थानों /संगठनों को दृढ़ता से पालन करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

संलग्नक :

1. भारत के राष्ट्रगीत के संबंध में आदेश (अनुलग्नक – I)
2. भारत के राष्ट्रगान के संबंध में आदेश (अनुलग्नक – II)

भवदीय,

(अरविंद खरे)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रति प्रेषित:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन , नई दिल्ली।
2. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान मंत्री कार्यालय, सेवा तीर्थ, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, सेवा तीर्थ, नई दिल्ली।
5. सभी राज्यपालों का कार्यालय।
6. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।

10. सभी उच्च न्यायालय।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
13. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।
16. 20 अतिरिक्त प्रतियां

अनुलग्नक-I

भारत के राष्ट्रगीत के संबन्ध में आदेश

भारत का राष्ट्रगीत विभिन्न अवसरों पर गाया अथवा बजाया जाता है। राष्ट्रगीत के आधिकारिक संस्करण, एवं उन अवसरों का विवरण जिन पर इस गीत को गाया अथवा बजाया जाए, तथा ऐसे अवसरों पर उचित शिष्टाचार का पालन करके राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान करने की आवश्यकता के संबंध में सामान्य जानकारी और मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित निर्देश, जारी किए जा रहे हैं:

I. राष्ट्रगीत – आधिकारिक संस्करण

(1) श्री बंकिम चन्द्र चटर्जी द्वारा रचित गीत 'वंदे मातरम्' को 'राष्ट्रगीत' के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के बोल इस प्रकार हैं:

वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।

सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्॥

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्॥

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम्।
वन्दे मातरम्॥

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणा: शरीरे, बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदये तुमि माँ भक्ति, तोमारेइ प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे।
वन्दे मातरम्॥

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम्।
वन्दे मातरम्॥

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम्।
वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्॥

(2) राष्ट्रगीत को गाने अथवा बजाने की अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है।

II. राष्ट्रगीत का वादन

(1) राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण, निम्नलिखित अवसरों पर बजाया जाएगा:

(i) सिविल सम्मान समारोहों के अवसर पर;
(ii) औपचारिक राजकीय समारोहों तथा सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोहों में राष्ट्रपति के आने पर, तथा ऐसे समारोहों से उनके जाते समय;
(iii) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश प्रसारित किए जाने से पहले और बाद में;
(iv) राज्यपाल/उपराज्यपाल के अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र में औपचारिक राजकीय समारोहों में आने पर और ऐसे समारोहों से उनके जाते समय;
(v) जब राष्ट्रीय झंडे को परेड में लाया जाए।

(2) किसी भी ऐसे अन्य अवसर पर राष्ट्रगीत बजाया जायेगा, जिसके लिए भारत सरकार ने विशेष आदेश जारी किए हों।

(3) जब बैंड के साथ राष्ट्रगीत गाया जाए, तो श्रोताओं को यह ज्ञान कराने के लिए कि राष्ट्रगीत प्रारम्भ होने वाला है, राष्ट्रगीत शुरू होने से पहले मृदंग बजाये जायेंगे, जब तक कि ऐसा कोई अन्य विशिष्ट संकेत न हो कि राष्ट्रगीत शुरू होने वाला है, उदाहरणार्थ, राष्ट्रगीत शुरू होने से पहले बिगुल बजाए जाते हैं। मार्चिंग ड्रिल की भाषा में रोल की अवधि धीरे-धीरे मार्चिंग के 7 कदम होंगे। रोल धीरे-धीरे आरम्भ होगा, पूरी अवधि तक बढ़ता जाएगा, और इसके पश्चात धीरे-धीरे कम होकर पूर्व स्थिति में आ जाएगा, किन्तु 7वीं धुन तक सुनाई देता रहेगा। इस प्रकार राष्ट्रगीत के आरंभ होने से पहले, एक धुन का अंतराल रहेगा।

III. राष्ट्रगीत का सामूहिक रूप से गायन

(1) निम्नलिखित अवसरों पर, राष्ट्रगीत के आधिकारिक संस्करण को बजाने के साथ इसे सामूहिक रूप से गाया जाएगा:

(i) परेडों को छोड़कर अन्य सांस्कृतिक अवसरों अथवा समारोहों पर राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने पर (इसका आयोजन समुचित संख्या में गायकों की मंडली की उचित स्थान पर व्यवस्था करके किया जाएगा और इसे इसको बैंड आदि के ताल के साथ गाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनता के इसे सुनने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, पर्याप्त यांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विभिन्न वार्डों (इन्क्लोजर्स) में एकत्रित जनता इसे गायक मंडली के साथ स्वर में स्वर मिलाकर गा सकें; तथा जहां आवश्यक हो, राष्ट्रगीत के आधिकारिक संस्करण की लिखित प्रति, प्रतिभागियों के बीच वितरित किए जा सकते हैं)।

(ii) किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक समारोह में (परन्तु औपचारिक राज्य-समारोहों को छोड़कर) राष्ट्रपति के आने पर तथा ऐसे समारोहों से उनके जाने से तत्काल पहले भी।

(2) उन सभी अवसरों पर, जब राष्ट्रगीत को गाया जाता है, इसे सामूहिक रूप से गाने में इसके आधिकारिक संस्करण का पाठ ही गाया जायेगा।

(3) उन अवसरों पर, जो पूरी तरह औपचारिक न होते हुए भी मंत्रियों आदि की उपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण हैं, राष्ट्रगीत गाया जा सकता है। ऐसे अवसरों पर, किसी वाद्ययंत्र के साथ अथवा उसके बिना, राष्ट्रगीत का गायन, इसके सामूहिक रूप से गाये जाने के साथ, वांछनीय है।

(4) जिन अवसरों पर, राष्ट्रगीत के गायन की (गीत को बजाने से भिन्न) अनुमति दी जा सकती है, उनकी संपूर्ण-सूची देना संभव नहीं है; किन्तु राष्ट्रगीत को इसे सामूहिक रूप से गाये जाने के साथ–साथ गाये जाने में तब तक कोई आपत्ति नहीं है, जब तक उसे मातृभूमि की वंदना के रूप में श्रद्धापूर्वक गाया जाए, तथा गायन के समय उचित शिष्टता का पालन किया जाए।

(5) सभी विद्यालयों में दिन का कार्य राष्ट्रगीत के सहगान से प्रारंभ होना चाहिए। विद्यालयों के प्राधिकारियों को छात्रों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लोकप्रिय बनाने, तथा राष्ट्रीय झंडे के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए अपने कार्यक्रम में समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

IV. सामान्य

(1) जब कभी राष्ट्रगीत का गायन अथवा वादन हो, तब श्रोतागण सावधान होकर खड़े रहें। किन्तु जब समाचार-दर्शन अथवा वृत्त-चित्र के दौरान राष्ट्रगीत फिल्म के अंश के रूप में बजाया जाता है, तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती, क्योंकि खड़े होने से राष्ट्रगीत के गौरव में वृद्धि होने की अपेक्षा फिल्म के प्रदर्शन में बाधा पड़ सकती है, और अशांति तथा गड़बड़ उत्पन्न हो सकती है।

(2) जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाए या बजाए जाएं, तो राष्ट्रगीत पहले गाया या बजाया जाएगा।

*****

भारत के राष्ट्रगान के संबंध में आदेश

भारत का राष्ट्रगान विभिन्न अवसरों पर गाया अथवा बजाया जाता है। राष्ट्रगान के सही रूप, एवं वे अवसर जिस पर राष्ट्रगान गाया अथवा बजाया जाए, तथा ऐसे अवसरों पर उचित शिष्टता का पालन करके राष्ट्रगान का सम्मान करने की आवश्यकता के संबंध में सामान्य जानकारी और मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित निर्देश, जारी किए जा रहे हैं:

I- राष्ट्रगानः पूर्ण तथा संक्षिप्त रूप

(1) स्वर्गीय कवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर के 'जन-गण-मन' नामक गीत के प्रथम पद के शब्द तथा उनके संगीत-विन्यास से बनी रचना भारत का राष्ट्रगान है। इस का पाठ इस प्रकार है:

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत-भाग्य-विधाता।
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग
विंध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा
उच्छल-जलधि-तरंग
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय-गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत-भाग्य-विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

उपर्युक्त पाठ राष्ट्रगान का पूर्ण रूप है; और इसे गाने अथवा बजाने की अवधि लगभग 52 सेकंड है।

(2) कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान की पहली तथा अंतिम पंक्तियों का संक्षिप्त पाठ भी गाया अथवा बजाया जाता है। इसका पाठ इस प्रकार है:

जन-गण-मन अधिनायक जय हे

भारत-भाग्य विधाता।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय जय हे।

संक्षिप्त पाठ को गाने अथवा बजाने की अवधि लगभग 20 सेकंड है।

(3) जिन अवसरों पर राष्ट्रगान का पूर्ण अथवा संक्षिप्त पाठ गाया जायेगा, उनका संकेत इन अनुदेशों में समुचित स्थलों पर कर दिया गया है।

II - राष्ट्रगान का वादन

(1) राष्ट्रगान का पूरा पाठ निम्नलिखित अवसरों पर बजाया जायेगा :

(i) सिविल तथा सैनिक सम्मान समारोहों के अवसर पर ;
(ii) जब राष्ट्रीय सैल्यूट (जिसका तात्पर्य है 'राष्ट्रीय सलामी-सलामी शस्त्र' का आदेश जो राष्ट्रगान के साथ ही दिया जाता है) समारोहों के अवसरों पर राष्ट्रपति को या अपने-अपने राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में राज्यपाल और उप-राज्यपाल को दिया जाता है;
(iii) परेडों के समय चाहे उपर्युक्त (ii) में बताए गए गणमान्य व्यक्तियों में से कोई उपस्थित हो या न हो;
(iv) औपचारिक राजकीय समारोहों तथा सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोहों और मेस समारोहों में राष्ट्रपति के आने पर तथा ऐसे समारोहों से उनके जाते समय;
(v) आकाशवाणी से राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश प्रसारित किए जाने से ठीक पहले और बाद में;
(vi) राज्यपाल / उपराज्यपाल के अपने राज्य / संघ शासित क्षेत्र में औपचारिक राजकीय समारोहों में आने पर और ऐसे समारोहों से उनके जाते समय ;
(vii) जब राष्ट्रीय झंडे को परेड में लाया जाए;
(viii) जब रेजीमेंट को निशान प्रस्तुत किए जाएं;
(ix) नौ सेना में ध्वजारोहण के समय ।

(2) राष्ट्रगान का संक्षिप्त पाठ मेसों में किसी के सम्मान में पेय पान करते समय बजाया जायेगा।

(3) किसी भी ऐसे अन्य अवसर पर राष्ट्रगान बजाया जायेगा, जिसके लिए भारत सरकार ने विशेष आदेश जारी किए हों।

(4) सामान्यतः प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रगान नहीं बजाया जायेगा, तथापि विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री के लिए भी इसे बजाया जा सकता है।

(5) जब बैंड के साथ राष्ट्रगान गाया जाए, तो श्रोताओं को यह ज्ञान कराने के लिए कि राष्ट्रगान प्रारम्भ होने वाली है, राष्ट्रगान शुरू होने से पहले मृदंग बजाए जाएंगे, जब तक कि ऐसा कोई अन्य विशिष्ट संकेत न हो कि राष्ट्रगान शुरू होने वाला है, उदाहरणार्थ, राष्ट्रगान शुरू होने से पहले बिगुल बजाए जाते हैं, अथवा जब कि राष्ट्रगान के साथ पेय पान किया जाता है अथवा जब राष्ट्रगान गार्ड आफ आनर द्वारा दी गई राष्ट्रीय सलामी के साथ होता है। मार्चिंग ड्रिल की भाषा में रेल की अवधि धीरे-धीरे मार्चिंग के 7 कदम होंगे। रोल धीरे-धीरे आरम्भ होगा, पूरी अवधि तक बढ़ता जाएगा और इसके पश्चात धीरे-धीरे कम होकर पूर्व स्थिति में आ जाएगा, किन्तु 7वीं धुन तक सुनाई देता रहेगा। इस प्रकार राष्ट्रगान के आरम्भ होने से पहले, एक धुन का अन्तराल रहेगा।

III- राष्ट्रगान का सामूहिक रूप से गायन

(1) निम्नलिखित अवसरों पर, राष्ट्रगान के पूरे पाठ को बजाने के साथ-साथ इसे सामूहिक रूप से गाया जायेगा :

(i) परेडों को छोड़कर, अन्य सांस्कृतिक अवसरों अथवा समारोहों पर राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने पर (इसका आयोजन समुचित संख्या में गायकों की मंडली की उचित स्थान पर व्यवस्था करके किया जाएगा और इसे इसको बैंड आदि के ताल के साथ गाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनता के इसे सुनने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, पर्याप्त यांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि विभिन्न वार्डों (इन्क्लोजर्स) में एकत्रित जनता इसे गायक मंडली के साथ स्वर में स्वर मिलाकर गा सकें)।

(ii) किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक समारोह में (परन्तु औपचारिक राज्य समारोहों तथा मेसों के समारोहों को छोड़कर), राष्ट्रपति के आने पर तथा ऐसे समारोहों से उनके जाने से तत्काल पहले भी।

(2) उन सभी अवसरों पर जब राष्ट्रगान को गाया जाता है, इसे सामूहिक रूप से गाने के साथ इसका पूरा पाठ गाया जायेगा।

(3) उन अवसरों पर जो पूरी तरह औपचारिक न होते हुए भी मंत्रियों आदि की उपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण हैं, राष्ट्रगान गाया जा सकता है। ऐसे अवसरों पर किसी वाद्ययंत्र के साथ अथवा उसके बिना, राष्ट्रगान का गायन, इसके सामूहिक रूप से गाये जाने के साथ वांछनीय है।

(4) जिन अवसरों पर राष्ट्रगान के गायन की (गान को बजाने से भिन्न) अनुमति दी जा सकती है, उनकी संपूर्ण-सूची देना संभव नहीं है; किन्तु राष्ट्रगान को इसे सामूहिक रूप से गाये जाने के साथ-साथ गाये जाने में तब तक कोई आपत्ति नहीं है, जब तक उसे मातृभूमि की वंदना के रूप में श्रद्धापूर्वक गाया जाए, तथा गायन के समय उचित शिष्टता का पालन किया जाए।

(5) सभी विद्यालयों में दिन का कार्य राष्ट्रगान के सहगान से प्रारम्भ होना चाहिए। विद्यालयों के प्राधिकारियों को छात्रों में राष्ट्रीय झंडे के प्रति श्रद्धा बढ़ाने तथा राष्ट्रगान को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने कार्यक्रम में समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

IV - विदेशों के राष्ट्रगानों का वादन

(1) भारत में विदेशी पदाधिकारियों के जिन स्वागत समारोहों में राष्ट्रीय अभिनंदन करने का विधान है, उनमें आगंतुक विदेशी उच्च पदाधिकारियों के देश के राष्ट्रगान का पूर्ण पाठ पहले बजाया जाना चाहिए और उसके बाद भारत के राष्ट्रगान का पूर्ण पाठ।

(2) भारत स्थित किसी विदेशी राजदूत अथवा कान्सुल प्रतिनिधि द्वारा आयोजित नाटक, फिल्म अथवा सांस्कृतिक उत्सवों पर संबद्ध देश का राष्ट्रगान भारत के राष्ट्रगान के साथ बजाया जा सकता है। विदेशी राष्ट्रगान पहले बजाना चाहिए, और उसके तत्काल बाद भारत का राष्ट्रगान।

(3) विदेशी राजदूतावासों द्वारा उनके राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए आयोजित समारोहों में आयोजक देश का राष्ट्रगान बजाया या गाया जा सकता है । इन अवसरों पर, यदि भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व किसी ऐसे मुख्य अतिथि द्वारा किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्री के स्तर से नीचे के न हों अथवा समारोह दिल्ली में होने की स्थिति में यदि प्रतिनिधित्व दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो भारत का राष्ट्रगान पहले बजाया जाएगा, और इसके तुरन्त बाद आयोजक राष्ट्र का राष्ट्रगान बजाया जायेगा। यह प्रक्रिया उन समारोहों के अवसर पर भी अपनाई जाएगी, जिसमें राज्याध्यक्षों को टोस्ट प्रस्तावित करना हो अर्थात भारत का राष्ट्रगान भारत के राष्ट्रपति को टोस्ट प्रस्तावित करने के तुरन्त बाद बजाया जाएगा, और विदेशी देश का राष्ट्रगान उक्त देश के राज्याध्यक्ष को टोस्ट प्रस्तावित करने के तुरन्त बाद बजाया जाएगा। अगर समारोह के प्रारम्भ में भारत और आयोजक देश के राष्ट्रगान बजाए जा चुके हैं, तो किसी प्रकार के टोस्ट प्रस्तावित करने की स्थिति में किसी एक अथवा दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाने की आवश्यकता नहीं है।

नोट - विदेशी राष्ट्रगान के ठीक पहले या बाद में जब राष्ट्रगान बजाया जाना अपेक्षित हो जैसा कि उपर्युक्त भाग IV में निर्धारित है, तो राष्ट्रगान साथ-साथ नहीं गाया जाना चाहिए। यदि देशों में आने वाला गणमान्य व्यक्ति और उसका शिष्ट-मंडल अपना राष्ट्रगान गा रहे हों तथा राष्ट्रगान दूसरे देश के राष्ट्रगान के तत्काल पहले या बाद में बजाया जाता है तो राष्ट्रगान का सामूहिक रूप से गाया जाना अपेक्षित है।

V - सामान्य

(1) जब कभी राष्ट्रगान का गायन अथवा वादन हो, तब श्रोतागण सावधान होकर खड़े रहें। किन्तु जब समाचार-दर्शन अथवा वृत्त-चित्र के दौरान राष्ट्रगान फिल्म के अंश के रूप में बजाया जाता है, तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती, क्योंकि खड़े होने से राष्ट्रगान के गौरव में वृद्धि होने की अपेक्षा फिल्म के प्रदर्शन में बाधा पड़ सकती है, और अशांति तथा गड़बड़ उत्पन्न हो सकती है।

(2) राष्ट्रीय ध्वज के फहराए जाने की तरह, यह भी लोगों के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वे राष्ट्रगान को मनमाने ढंग से न गाएं–बजाएं।

*****

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

ज्ञापांक–वि0 प्रा0 त0 शि0 (IX)–विविध–09/24/ 4494 **पटना, दिनांक–** 07.08.26

प्रतिलिपिः– प्रशासनिक पदाधिकारी, डॉ0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम साईस सिटी, पटना/कुल सचिव, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना/प्राचार्य, सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/परियोजना निदेशक, बी0 सी0 एस0 टी0, पटना, गया, दरभंगा, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–512, दिनांक– 24.07.2026 (अनुलग्नक सहित) के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

07/8/26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।